

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *317

11.08.2025 को उत्तर के लिए

एफजीडी से छूट संबंधी नीति

*317. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः:

श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ताप विद्युत संयंत्रों में 'फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन' (एफजीडी) प्रणालियों के अभाव में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक प्रौद्योगिकीय या विनियामक उपाय क्या हैं;
- (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि एफजीडी संबंधी छूट के कारण विद्युत संयंत्रों के आसपास रहने वाले संवेदनशील समूहों के स्वास्थ्य पर सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रभाव न पड़े;
- (ग) क्या एफजीडी स्थापित किए जाने से छूट को अंतिम रूप देने से पहले नागरिक समाज संगठनों के साथ औपचारिक परामर्श प्रक्रिया का पालन किया गया था, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) एफजीडी स्थापित न करने के दीर्घकालिक प्रभाव से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चिंताओं के व्यष्टिगत, एफजीडी से छूट संबंधी नीति पर पुनर्विचार करने और सभी ताप विद्युत संयंत्रों के लिए डिसल्फराइजेशन प्रणालियों की स्थापना को अनिवार्य बनाने पर विचार करेगी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंत और श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा एफजीडी से छूट संबंधी नीति के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 317 के पैरा (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ड)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से कोयला/लिग्नाइट-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के तहत निर्धारित SO_2 उत्सर्जन मानकों की समीक्षा की गई है, जिसमें इन उत्सर्जन मानकों की समयसीमा में छूट या रियायत के संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है।

इसके अलावा, इन मानकों के पीछे प्रभावशीलता और औचित्य तथा क्षेत्र के समग्र परिवेशी वायु प्रदूषण में इसकी भूमिका के संबंध में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनईईआरआई), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (एनआईएएस) जैसे अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए अध्ययनों पर भी विचार किया गया, ताकि इन मानकों की सार्वभौमिक प्रयोज्यता और प्रवर्तन की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जा सके। इन अध्ययनों के अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे के माध्यम से विभिन्न परिवृश्यों/मैट्रिक्स के लिए ताप विद्युत संयंत्र के स्रोत से उत्सर्जन का सिमुलेशन मॉडलिंग भी किया था।

इस मामले पर चर्चा करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय (एमओपी), सीपीसीबी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), वैज्ञानिक संस्थानों और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के बीच हितधारकों की परामर्शी बैठकें भी आयोजित की गई थीं।

मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद, मंत्रालय ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित SO_2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता के संबंध में दिनांक 11.07.2025 के सा.का.नि. 465 (अ) के तहत

अधिसूचना जारी की है। तदनुसार, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा SO₂ उत्सर्जन मानकों के अनुपालन की प्रयोज्यता और समय-सीमाएँ इस प्रकार हैं:

श्रेणी	SO ₂ उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता	अनुपालन के लिए समय-सीमा
श्रेणी क (एनसीआर या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित संयंत्र)	अनिवार्य	31.12.2027
श्रेणी ख (मानक प्राप्त न करने वाले शहरों या गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के 10 किमी के दायरे में संयंत्र)	<p>विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ताप परियोजनाएं) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा मामला दर मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा।</p> <p>यदि किसी टीपीपी पर SO₂ उत्सर्जन मानकों की गैर-प्रयोज्यता के लिए विचार किया जाता है, तो ऐसे ताप विद्युत परियोजना को दिनांक 30.08.1990 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742 (अ) के अनुसार स्टैक हाइट सुनिश्चित करनी होगी।</p>	31.12.2028
श्रेणी ग (श्रेणी क और ख में शामिल लोगों के अलावा)	दिनांक 30.08.1990 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742 (अ) के अनुसार स्टैक हाइट को पूरा करने की शर्त के अधीन लागू नहीं।	31.12.2029

टीपीपी में SO₂ उत्सर्जन मानकों की श्रेणीवार प्रयोज्यता का निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययनों और टीपीपी के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित देश भर में परिवेशी SO₂ सांद्रता के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। दिनांक 11.07.2025 की अधिसूचना जारी करते समय केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय स्थिरता और SO₂ उत्सर्जन मानदंडों को प्राप्त करने में पर्यावरणीय लाभ/हानि के साथ-साथ सभी कोयला/लिग्नाइट आधारित टीपीपी में ऐसे नियंत्रण उपायों को लागू करने की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित है। यह दृष्टिकोण घनी आबादी वाले और अन्य वायु प्रदूषण-संवेदनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए एहतियाती सिद्धांत को लागू करता है, साथ ही बिजली की कीमतों में संभावित वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं को भारी बोझ से बचाने पर भी विचार करता है। यह दृष्टिकोण जल, सहायक ऊर्जा और चूना पत्थर की अतिरिक्त खपत से बचाकर संसाधन संरक्षण को और अधिक दर्शाता करता है; यह लागू नियंत्रण उपायों के संचालन के परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट/CO₂ उत्सर्जन में वृद्धि, और इन उपायों के लिए आवश्यक चूना पत्थर के खनन और ढुलाई पर भी विचार करता है।

टीपीपी को निर्धारित समय सीमा के भीतर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है, अन्यथा संचालन के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने वाली टीपीपी इकाइयों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी। ऐसे सभी मामलों में जहां SO₂ उत्सर्जन मानकों को लागू नहीं किया जा रहा है, टीपीपी को प्रदूषकों के उचित फैलाव में सहायता करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए टीपीपी से SO₂ उत्सर्जन को नियंत्रित करने वाली दिनांक 30.08.1990 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742 (अ) द्वारा अधिसूचित स्टैक हाइट मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
